मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
ब्लॉक नं.–7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008, (म.प्र.)
CIN: U40109MP2002SGC015120 Website: www.mpez.co.in
दूरभाष:0761–2702020, फैक्स: 0761–2661219, 2669005
ईमेल–cgmhr.mpez@mp.gov.in

क्रमांक प्र.सं./पू.क्षे./मु.महा.प्र.(मा.सं.एवं प्रशा.)/ला.प.(नि.)–17/5245 जबलपुर दिनांक 25.7.17

लाईन परिचारक (नियमित) 2017 के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

1. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में लाईन परिचारक (नियमित)–2017 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची पश्चात् शारीरिक दक्षता के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु म.प्र. राज्य के मूल निवासी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. लाईन परिचारक (नियमित) की संभावित रिक्तियाँ निम्नानुसार हैं :

विवरण	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल रिक्त पद	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद
संभावित रिक्त पदों की संख्या	150	60	48	42	300	03 (अस्थि बाधित)
उपरोक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु समस्तरीय एव श्रेणीवार आरक्षित पद	30	12	10	8	60	

टीप– पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है।

3. **शैक्षणिक योग्यता**

3.1 उम्मीदवार दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से आई.टी.आई (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) होना अनिवार्य है। (आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी. आई. से
दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे)

अथवा

10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन द्वारा जारी शिरोपरि तार मिस्त्री (ओवरहेड वायरमेन) अधिष्ठापन कार्य में प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

3.2 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3.3 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने उच्च शिक्षा जैसे कि डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है परन्तु आई.टी.आई. परीक्षा विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड से उत्तीर्ण नहीं की है अथवा ओव्हरहेड वायरमेन प्रमाणपत्र धारक नहीं हैं, को नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

3.4 महिला उम्मीदवार, जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।

4. <u>मूल निवासी</u>

आवेदन हेतु उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

5. <u>आयु सीमा</u>

5.1 आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। म.प्र. राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, निःशक्त जन (अस्थि बाधित), भूतपूर्व सैनिक, महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

5.2 म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर का कुल कार्य (तीनों प्रकृति) 5 वर्ष से कम किया है अथवा कर रहे हैं, उन्हें कुल कार्यअनुभव (पूर्ण माह) की अवधि के समतुल्य अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। विद्युत वितरण कंपनियों में मीटरवाचक, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर की कुल कार्य (तीनों प्रकृति) अवधि का पांच वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी।

इसके अतिरिक्त म.प्र. राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों में लाईन परिचारक (संविदा) के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को 5 वर्ष से कम अवधि के कार्यानुभव पर संविदा अनुबंध अवधि (पूर्ण माह) के समतुल्य एवं 5 वर्ष या अधिक कार्यानुभव पर अधिकतम आयु 45 वर्ष तक आयुसीमा में छूट होगी।

आवेदक को कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी।

5.3 आयु सीमा की गणना आन लाईन आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथी होगी।

5.4 अभ्यर्थी को जिस श्रेणी के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर अभिलेखों के सत्यापन के समय उसके सापेक्ष मूल प्रमाणपत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. <u>आरक्षण</u>

6.1 मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।

6.2 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को म.प्र. का मूल निवासी होने के साथ संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.3 म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी–2010 से संशोधित नियम 4(ख) के अनुसार सहारिया, भारिया और बैगा जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित प्रकिया के अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के जबलपुर स्थित कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), ब्लाक नं. 7, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, जबलपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

6.4 शासन के नियमानुसार, भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्ष 2017 में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पदों में से 20 प्रतिशत पद 'हारीजोन्टल एवं कम्पार्टमेंटवाईज' आरक्षित हैं। इन पदों हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। यदि चयन सूची में पहले से ही 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

6.5 म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नहीं किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक लाईन परिचारक (नियमित) के पद पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

6.6 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 26 भोपाल दिनांक 19 जनवरी 2015 में प्रकाशित अनूसूची 2 निःशक्त जनों के लिए चिन्हांकन – मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी – लाईन परिचारक (नियमित) के स्वीकृत 3108 पदों में से निःशक्त जन (अस्थि बाधित) के लिए 31 पद चिन्हांकित हैं। लाईन परिचारक (नियमित) के पद पूर्णतः जोखिम भरे एवं मैदानी होने से दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित को छूट प्रदान कर अस्थिबाधित को 1 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। रिक्त पदों की संख्या 300 के सापेक्ष एक प्रतिशत अर्थात 3 पद निःशक्तजन (अस्थि बाधित) के पात्र अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने, तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रसाशन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार ये पद किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेगें।

7. <u>आवेदन शुल्क</u>

अनारक्षित एवं पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रू.1000/ (रूपये एक हजार मात्र) निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रू.800/ (रूपये आठ सौ मात्र) निर्धारित है।

8. <u>पात्रता के संबंध में</u>

8.1 ऐसे आवेदक जिन्हें म.प्र. राज्य की किसी भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पदच्युत (Dismiss) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नहीं होगी।

8.2 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.1.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, को आवेदन की पात्रता नहीं है।

8.3 कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता स्तर के अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। कार्यपालन अभियंता स्तर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा, तथा प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन होने के बावजूद अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

8.4 बोनस अंक की पात्रता (ठेके पर अनुबंधित मीटरवाचक अथवा 33/11 के.व्ही उपकेन्द्र पर ठेके पर अनुबंधित आपरेटर अथवा म.प्र. राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों में लाईन परिचारक (संविदा) के पदों पर कार्यरत कार्मिक) कार्यअनुभव धारक ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तो को पूर्ण करते हैं।

8.5 ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं होगी।

8.6 दो या दो से अधिक कार्य अनुबंधों के मध्य जिस अवधि में अभ्यर्थी अनुबंधित नहीं पाया जावेगा वह अवधि कार्यानुभव में सम्मिलित नहीं होगी।

8.7 दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ शिरोपरि तार मिस्त्री (ओव्हरहेड वायरमेन) अधिष्ठापन कार्य संबंधी प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव के सापेक्ष अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं है। तथापि उन्हें निर्धारित ट्रेड से आई.टी.आई परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समतुल्य ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

8.8 ऐसे उम्मीदवार जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं, यदि शिक्षा एवं, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं, को कार्य पर उपस्थिति के पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

8.9 शासन के नियमानुसार निःशक्तजन उम्मीदवारों की निःशक्तता न्यूनतम 40 प्रतिशत होनी चाहिये।

9. <u>चिकित्सीय परीक्षण</u>

लाईन परिचारक (नियमित) के पद पर चयनित आवेदक को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन का फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार चिकित्सीय परीक्षण में असफल पाया जाता है तो उम्मीदवार का चयन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त होगा।

10. चयन प्रकिया

10.1 लाईन परिचारक (नियमित) पद के लिए अर्ह अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2017 की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा हिंदी में आयोजित की जायेगी।

10.2 अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता, मूलनिवासी, जाति, अनुंबंधित मीटरवाचक अथवा 33/11के.व्ही. उपकेन्द्र आपरेटर, लाईन परिचारक(संविदा) के कार्यानुभव संबंधी प्रमाणपत्र, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियॉ आवेदन के समय एम.पी. आनलाईन की बेववाईट पर अपलोड करना होगा।

10.3 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट–ऑफ मार्क 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन (अस्थि बाधित) के उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित हैं।

10.4 ऐसे आवेदक जिन्होंने म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में ठेके पर मीटरवाचक या 33/11 उपकेन्द्र के संचालन (आपरेटर) या लाईन परिचारक (संविदा) के पदों पर कम से कम 3 वर्ष कार्य किया है, को आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों पर कार्यानुभव के सापेक्ष 10 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जावेंगे, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हा/सेवा समाप्त की गई हो, को पात्रता नहीं होगी। बोनस अंक की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं। वर्तमान में म.प्र. राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों में ठेके पर कार्यरत मीटरवाचकों अथवा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर कार्यरत अभ्यर्थी या लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी के कार्यअनुभव की गणना अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पृथक–पृथक कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि को जोड़कर आनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक (पूर्ण माह) में की जावेगी।

10.5 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक अर्जित करने पर ही कार्यानुभव के सापेक्ष पात्रतानुसार अर्जित बोनस अंक जोड़कर संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची संधारित कर चयन प्रकिया की जावेगी।

10.6 तार मिस्त्री प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव के सापेक्ष अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं है।

10.7 संयुक्त प्रावीण्य सूची से रिक्त पदों की संख्या के समतुल्य अभ्यर्थियों की सूची एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट पर जारी कर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण बुलाया जायेगा। संयुक्त प्रावीण्य सूची से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के बाद शेष रिक्त पदों के लिए पुनः प्रतीक्षा सूचियॉ, निर्धारित समय सीमा में जारी कर नियुक्ति प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

11. प्रावीण्य सूची

एम.पी. आनलाईन द्वारा प्रतियोगी परीक्षा एवं अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी:

11.1 अनारक्षित/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि के समस्त उम्मीदवारों की एक संयुक्त प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक–पृथक संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची तैयार की जावेंगी।

11.3 उम्मीदवारों को संयुक्त प्रावीण्य सूची के अनुसार चयन होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निःशक्तजन उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी।

11.4 संयुक्त प्रावीण्य सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक से कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जावेगी। इस हेतु अभ्यर्थी एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.com पर अपना स्थान देख सकेंगे।

12. <u>प्रावीण्य सूची की वैधता</u>

प्रावीण्य सूची लाईन परिचारक (नियमित) हेतु आयोजित आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक वैध रहेगी। जिससे विज्ञापित पदों की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की जावेंगीं। प्रतीक्षा सूची से चयन के संबंध में, कंपनी एक वर्ष के पूर्व भी चयन प्रकिया समाप्त कर सकेगी।

13. <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>

13.1 संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण जो निम्नानुसार हो, सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही लाईन परिचारक (नियमित) के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार किया जावेगा।

13.1.1 निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से 25 किलो ग्राम वजन लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना

13.1.2 टूल–किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनिट में 01 किलो मीटर पैदल चलना।

13.2 उपरोक्त दोनों उपखण्ड (13.1.1) एवं (13.1.2) में उल्लेखित शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

13.3 एक बार शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षण नहीं ली जावेगी।

13.4 शारीरिक दक्षता परीक्षण में अंक आवंटित नहीं किये जावेंगे, यद्यपि शारीरिक दक्षता परीक्षण की निर्धारित प्रकिया अभ्यर्थी द्वारा समयसीमा में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

13.5 संयुक्त प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होने के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

13.6 निःशक्तजन उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी।

14. <u>आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जानकारी</u>

14.1 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective Type) प्रकार की होगी, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 03 अंक का होगा, अतः प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा। कुल 100 प्रश्नों में से 75 प्रश्न 10 वीं एवं आई.टी.आई. (इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन/लाईन मेन) स्तर के होंगे तथा 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घण्टे रहेगी तथा परीक्षा में Negative Marking नहीं रहेगी।

14.2 उम्मीदवारों को ऑन लाईन प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एम.पी. ऑनलाईन द्वारा नियम एवं शर्तों सहित प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in से डाउनलोड किये जा सकेंगे। प्रवेश पत्र पृथकतः डाक से प्रेषित नहीं किये जावेंगे।

14.3 कंपनी द्वारा अधिकृत नोडल एजेन्सी द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उम्मीदवारों की उपस्थिति की Video CC TV Recording की जायेगी।

14.4 ऑन लाईन प्रतियोगी परीक्षा एम.पी. ऑनलाईन द्वारा जबलपुर स्थित विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किये जाने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा।

14.5 आवेदकों द्वारा ऑनलाईन फार्म में गलत जानकारी भरे जाने की स्थिति में एम.पी.ऑनलाईन द्वारा Edit Facility दी जायेगी। आवेदक द्वारा 60 रू. का भुगतान किये जाने पर फार्म में की गई त्रुटि को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से सुधरवाया जा सकेगा।

14.6 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा की आदर्श उत्तर पुस्तिका परीक्षा दिनांक से 03 से 05 दिवस के अंदर एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। जिसे प्रकाशन तिथि से 03 दिवस के अंदर चुनौती दी जा सकती है।

14.7 उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यदि चुनौती दी जाती है तो उम्मीदवारों को रूपये 600/– प्रति प्रश्न की दर से राशि जमा करने पर उसकी चुनौती स्वीकार की जावेगी तथा चुनौती वैध साबित होने पर जमा की गई राशि वापिसी योग्य होगी।

15. प्रशिक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरांत अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को लाईन परिचारक (नियमित)–(प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त किया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्थान में स्थान की उपलब्धता के आधार पर संस्थागत प्रशिक्षण हेतु बुलाया जावेगा। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त समझा जावेगा।

16. अनुबंध

लाईन परिचारक प्रशिक्षु (नियमित) द्वारा म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अथवा अधीनस्थ नियंत्रक प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू.100/– के नान–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। इस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के अंदर कार्य पर उपस्थित होना होगा निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

17. कार्य की प्रकृति

लाईन परिचारक (नियमित) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य, विद्युत लाईनों के निर्माण कार्य जिसमें गड्डा खोदने, सामान ढुलाई एवं लाईन तैयार करने एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य।

18. प्रशिक्षुवृति एवं वेतन

लाईन परिचारक (नियमित) के पदों को भरे जाने हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड में वेतन 5960/ तथा सादृश्य ग्रेड वेतन रू. 1900/ प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुवृति देय होगी। प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान 5200–20200 में वेतन रू.5960/ एवं ग्रेड पे रू.1900/ तथा समय–समय पर जारी भत्ते, जिनमें मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि की निर्धारित दरों के अनुरूप नियमानुसार पात्रता होगी।

19. सामान्य शर्तें

19.1 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय या सार्वजनिक उपकम में कार्यरत हैं, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

19.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऑनलाईन प्रतियोगी परीक्षा एवं अभिलेखों के भौतिक सत्यापन/शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों को आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा एवं अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय साधारण श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया आवेदन पत्र में अंकित

वर्तमान पत्राचार के पते के आधार पर मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा। इस हेतु आवेदक को जाति प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति अथवा निःशक्तता (न्यूनतम 40 प्रतिशत) संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

19.3 चयन नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में ही मान्य होंगे। कंपनी की सेवाएं औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती हैं।

20. शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेख

20.1 शारीरिक दक्षता परीक्षण पर उपस्थिति के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची मूलतः एवं एक सत्यापित प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निःशक्तजन अभ्यर्थियों को अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है, तथापि अभिलेखों का सत्यापन सही पाये जाने पर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट होगी।

20.1.1 शैक्षणिक योग्यता 10 वीं की अंक सूची, प्रमाण पत्र

20.1.2 व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाणपत्र अथवा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र

20.1.3 मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र

20.1.4 जाति प्रमाण पत्र (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों हेतु)

20.1.5 फोटो युक्त मूल पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पासपोर्ट इनमें से कोई एक) यदि पहचान पत्र उपलब्ध न हो तो शाला/आई.टी.आई. के प्राचार्य से सत्यापित आवेदक का छाया चित्र।

20.1.6 दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के कलर फोटो

20.2 **आवेदक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:**

20.2.1 ठेके पर किये गए कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता स्तर के अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जारी प्रमाणपत्र। (कार्यपालन अभियंता स्तर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मान्य नहीं)

20.2.2 शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

20.2.3 भूतपूर्व सैनिक के संबंध में म.प्र. राज्य के जिलों में पदस्थ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो)

20.2.4 निःशक्तजन अभ्यर्थियों के संबंध में शासकीय संस्थान से जारी निःशक्तता (न्यूनतम 40 प्रतिशत) चिकित्सा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)

20.3 उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

20.4 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये हैं अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

20.5 लाईन परिचारक (नियमित) के पद पर नियुक्त कार्मिक को प्रधानमंत्री बीमा योजना की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस हेतु कार्मिक अनुबंध निष्पादित किये जाने की दिनांक को प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमित है, की बैध पालिसी की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि पुष्टि हेतु प्रस्तुत करेगा।

20.6 लाईन परिचारक (नियमित) के पद पर नियुक्त कार्मिक को प्रशिक्षण अवधि एवं सेवा के दौरान कंपनी द्वारा लाईन एवं कार्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण/गोपनीय जानकारी/सूचना आदि मिलती है अथवा दी जाती है। तदाशय की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

20.7 किसी भी समय यदि सक्षम अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि लाईन परिचारक (नियमित) कार्मिक का कार्यकलाप कंपनी हित में नहीं है अथवा उसकी कार्यक्षमता आशा के अनुरूप नहीं है, तो

कंपनी द्वारा बिना कारण बताये 01 माह की सूचना अथवा 01 माह की सूचना के स्थान पर 01 माह का वेतन भुगतान कर उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

20.8 नियुक्ति उपरांत किसी भी पक्ष द्वारा बिना कारण बताये 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01 माह का प्रशिक्षुवृति/वेतन जैसा भी हो दूसरे पक्ष को भुगतान कर सेवा समाप्त कर सकता है।

21. **पदस्थापना एवं स्थानांतरण**

लाईन परिचारक (नियमित) पद पर नियुक्त कार्मिक को किसी भी अन्य कंपनी में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। सेवा के दौरान सक्षम प्राधिकृत अधिकारी कार्मिक का स्थानानंतरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर कर सकेगा।

22. **अवकाश, यात्रा भत्ता, सेवा बंधन, अनुशंगी लाभ**

कंपनी में नियमित पदों पर नियुक्त कार्मिकों के लिए लागू अवकाश, भत्ता, सेवा बंधन, चिकित्सा सुविधा, अनुशंगी लाभ/सुविधाएं कंपनी में प्रचलित नियमों एवं उनमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के साथ प्रभावशील होंगे। अन्य सेवा शर्तें यदि अनुबंध आदेश में विनिर्दिष्ट की जाती हैं, तो वे भी लागू होंगी।

23. **महत्वपूर्ण दिनांक**

चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक निम्नानुसार हैं :

क्र	विवरण	दिनांक
1	विज्ञापन जारी करने की तिथि	26.07.2017
2	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक	26.07.2017
3	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक	25.08.2017
4	आवेदन पत्र में सुधार (Edit Facility)	05.08.2017 से 25.08.2017
5	एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की दिनांक	04.09.2017
6	ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक	26.09.2017
7	प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियां दर्ज करने की दिनांक	10.10.2017 से
8	ऑनलाईन परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन	कंपनी द्वारा एम.पी.ऑनलाईन तथा कंपनी की वेबसाईट पर सूचना दी जायेगी।
9	प्रवीण सूची का प्रकाशन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रण	कंपनी द्वारा एम.पी.ऑनलाईन तथा कंपनी की वेबसाईट पर सूचना दी जायेगी।

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी तिथियां संभावित है। अतः अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथियों में फेर–बदल संभव है। बिंदु क्रमांक 08 एवं 09 हेतु आवेदकों को एम.पी.ऑनलाईन तथा कंपनी की वेबसाईट पर सूचना दी जायेगी। अतः इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्ति ाः नहीं दी जायेगी। अतः नियुक्ति प्रकिया के दौरान एम.पी.ऑनलाईन **(www.mponline.gov.in)** तथा कंपनी की वेबसाईट **(www.mpez.co.in)** लगातार चेक करें।

महत्वपूर्ण टीपः

1. आवेदकों से निवेदन है कि पूरा विज्ञापन पढ़ने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करें तथा विज्ञापन में प्रकाशित प्रावधानों को दूरभाष के माध्यम से पुनः ना पूछें। यदि आवेदक को किसी अन्य संबंध में समस्या है, जिसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया है, केवल ऐसी स्थिति में दूरभाष से संपर्क करें।
2. ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत आवेदक अपना आवेदन क्रमांक संभाल कर रखें।
3. **आवेदकों द्वारा कार्यानुभव प्रमाण पत्र तथा यात्रा किराया आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे।** किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किये गये कार्यानुभव प्रमाण पत्र तथा यात्रा किराया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं एवं प्रशा.)

25/07/17 25/07/17

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,जबलपुर

लाईन परिचारक प्रशिक्षु (नियमित)–बैच 2017 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुभव प्रमा

(कार्यपालन अभियंता, समकक्ष अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया)

आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण टीपः कार्यानुभव हेतु केवल विज्ञापन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को कार्यानुभव का लाभ नहीं दिया जायेगा।

....

कंपनी का नाम.. कार्यालय का नाम...

क्रमांक.. दिनांक...

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ....

पिता/पति श्री... द्वारा इस कंपनी में ....

.... के पद पर कार्य किया गया है। इनके कार्य अनुभव का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है–

(अ) म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडर का कार्यानुभव

क्रं.	अनुभव प्रारंभ दिनांक (dd/mm/yyyy)	अनुभव समाप्ति दिनांक (dd/mm/yyyy)	कुल अनुभव (पूर्ण माह में)

(ब) म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर,/बाह्य स्त्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर का कार्यानुभव

क्रं.	अनुभव प्रारंभ दिनांक (dd/mm/yyyy)	अनुभव समाप्ति दिनांक (dd/mm/yyyy)	कुल अनुभव (पूर्ण माह में)

(स) म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में लाईन परिचारक (संविदा) का कार्यानुभव

क्रं.	अनुभव प्रारंभ दिनांक (dd/mm/yyyy)	अनुभव समाप्ति दिनांक (dd/mm/yyyy)	कुल अनुभव (पूर्ण माह में)

उपरोक्त कार्यानुभव को कार्यालयीन अभिलेखों से जाँच कर सत्यापित किया जाता है।

स्थानः

दिनांकः

जारीकर्त्ता अधिकारी की सील व हस्ताक्षर

(कार्यपालन अभियंता/समकक्ष व उच्च अधिकारी)

मोबाईल नं. ....

कार्यालय दूरभाष..

....

कार्यानुभव के संबंध में मुख्य बिंदु :

1. एक से अधिक कंपनियों में कार्यानुभव होने पर आवेदकों को पृथक–पृथक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करनेहोगें।
2. दो या दो से अधिक कार्य अनुबंधों के मध्य जिस अवधि में अभ्यर्थी अनुबंधित न रहा हो, वह अवधि कार्यानुभव में सम्मिलित नहीं की जावेगी।

म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,जबलपुर

लाईन परिचारक प्रशिक्षु (नियमित)–बैच 2017

ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निशःक्तजन (अस्थिबाधित) वर्ग के अभ्यर्थियों को यात्रा किराया भुगतान हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण			
नाम (श्री / श्रीमती / कु.)			
आवेदन क्रमांक		मध्यप्रदेश का मूलनिवासी	हाँ
श्रेणी (वर्ग)–अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / निशःक्तजन (अस्थिबाधित)		ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र का नाम	
पत्राचार हेतु वर्तमान पता (ऑनलाईन आवेदन के अनुसार)			
मोबाईल नं.		ई–मेल आईडी	

यात्रा विवरण					
यात्रा कहाँ से कहाँ तक	यात्रा की दिनांक	यात्रा का साधन (बस / रेल)	यात्रा की श्रेणी	बस / रेल टिकिट नं.	यात्री किराया (रू)
कहाँ से: कहाँ तक:					
कहाँ से: कहाँ तक:					
				योग	

बैंक खाता का विवरण			
बैंक खाता क्रमांक		खाता धारक का नाम	
बैंक का नाम		IFS कोड	
बैंक भाखाःनाम एवं पता			

यात्रा किराया भुगतान हेतु इस आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न किया जाना **अनिवार्य** है:

1. प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की फोटोकापी
2. जाति प्रमाण पत्र की फाटोकॉपी
3. एक तरफ की यात्रा टिकिट की मूलप्रति
4. मध्यप्रदे । राज्य के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी
5. बैंक पास बुक के उस पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें खाता धारक का नाम, खाता क्रमांक, IFS कोड, बैंक एवं ब्रांच का नाम अंकित हो **अथवा** उक्त जानकारी के सापेक्ष निरस्त (केन्सिल) चैक
6. निशःक्तजन (अस्थिबाधित) अभ्यर्थियों को निशःक्तता प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मेरे द्वारा यात्रा भुगतान आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज़ संलग्न किये गए हैं। अंकित जानकारी गलत होने अथवा किसी दस्तावेज़ के अभाव में यात्रा भुगतान न किये जाने पर मेरे द्वारा कोई दावा नहीं किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: प्रपत्र की सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा भरी जावें व आनलाईन परीक्षा के पश्चात् आवेदन पत्र उपर्युक्त अभिलेखों सहित परीक्षा केन्द्र पर जमा किया जावे। यात्रा किराया भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा। अतः इस संबंध में दूरभाष पर संपर्क न किया जावे।